प्रेस विज्ञप्ति

26.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के पूर्व निदेशक और बिक्री एवं विपणन टीम के प्रमुख संदू पूर्णचंद्र राव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.08.2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें 26.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा मेसर्स एसआईवीआईपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ एक विश्वस्तरीय आवासीय गेटेड समुदाय के निर्माण के लिए "प्री-लॉन्च ऑफर" का विज्ञापन करने और संभावित खरीदारों से भारी रकम वसूलने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। हालाँकि, कंपनी ग्राहकों को फ्लैट देने या उनके पैसे वापस करने में विफल रही और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया। इसके बाद, मेसर्स एसआईवीआईपीएल और समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर कई अन्य एफआईआर दर्ज की गईं। 700 से ज़्यादा घर खरीदार, जिन्हें फ्लैट/विला देने का वादा किया गया था, के साथ कुल मिलाकर लगभग 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

ईडी की जांच से पता चला कि एसआईवीआईपीएल के पास आवश्यक रेरा/एचएमडीए की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धन विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था और नकद में भी एकत्र किया गया था। संदू पूर्णचंद्र राव ने मेसर्स एस आईवीआईपीएल की अवैध रूप से शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के जरिए 800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र करने में बी. लक्ष्मीनारायण की सहायता की और आवश्यक अनुमति/अनुमोदन के बिना इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से जनता को धोखा दिया। उन्होंने मेसर्स एसआईवीआईपीएल के धन को छिपाने और गबन करने के स्पष्ट इरादे से खरीदारों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकदी एकत्र की, जिसे मेसर्स एसआईवीआईपीएल के खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। सर्वनी एलीट परियोजना में इन्वेंट्री की बिक्री के बहाने खरीदारों से 216.91 करोड़ रुपये से अधिक नकद एकत्र किए गए थे।

उपरोक्त के अलावा, संदू पूर्णचंद्र राव लगभग 1.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी में भी शामिल थे। मेसर्स एसआईवीआईपीएल से 126 करोड़ रुपये, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक नकद शामिल थे, जब्त कर लिए गए। जब फोरेंसिक ऑडिट के बाद बी. लक्ष्मीनारायण को यह तथ्य पता चला, तो उन्होंने संदू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ धन के दुरुपयोग के आरोप में तीन एफआईआर दर्ज कराईं। बी. लक्ष्मीनारायण द्वारा दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए, संदू पूर्णचंद्र राव ने बी. लक्ष्मीनारायण के साथ एक समझौता किया और साहिती समूह के कर्मचारियों व अन्य के नाम पर 21 अचल संपत्तियों को बी. लक्ष्मीनारायण के लाभकारी स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया।

संदू पूर्णचंद्र राव ने अपने द्वारा अर्जित अपराध से अपने परिवार के सदस्यों और संस्थाओं [रॉयल निर्माण इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स महोगनी फार्मलैंड्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स श्रीगृह एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड] के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं।

इससे पहले, ईडी ने मामले के संबंध में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी, आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण जब्त किए थे और कई बैंक खातों को फ्रीज किया था। इसके अलावा, पीएमएलए जांच के दौरान 161.50 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। एसआईवीआईपीएल के एमडी बी. लक्ष्मीनारायण को ईडी ने 29.09.2024 को गिरफ्तार किया था और वो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।